2570450 2570265
2570301 2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

पत्रांक संख्या सी०एस०जे०एम०वि०वि० / सम्ब० / अनापत्ति / 743 / 2014 दिनांक: 05 / 09 / 2014

अनापत्ति

शासनादेश सं0 2103 / सत्तर-2 2012-2(166) / 2012 दिनांक 09.08.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश संख्या 1963 / सत्तर-2-2013-16(165) / 2012 टीसी दिनांक 11.12.2013 तथा शासनादेश संख्या-208 / सत्तर-2-2013-2(165) / 2013 टीसी दिनांक 31.03.2014 के क्रम मे लिये गये निर्णय दिनांक 01.09.2014 के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी सुरेन्द्र सिंह सेवा समिति चम्पतपुर, बगबना, इलाहाबाद द्वारा प्रस्तावित सुचितानन्दन महाविद्यालय जमुहरा गांट, बारा, इलाहाबाद को स्नातक स्तर कला संकाय के अन्तर्गत-हिन्दी साहित्य, अग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास एव गृहविज्ञान तथा स्नातक स्तर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित मे स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रो / अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण एवं शासनादेश 09.08.2012 के क्रम मे नामित सदस्य, मुख्य राजस्व अधिकारी, इलाहाबाद (जिलाधिकारी के नामित सदस्य) के भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखो की परीक्षण रिपोर्ट / संस्तुति पत्रांक संख्या 4799 / डी०एल०आर०सी० दिनाक 30.06.2014 के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1. पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव मे दर्शाई गई भूमि अनुसार ग्राम जमुहरा गांट परगना बारा तहसील बारा जिला इलाहाबाद में स्थित गाटा सं0 27 / 1.000हे0 भूमि पर निर्मित भवन मे ही किया जाए गा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति मे यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
2. यह अनापत्ति समिति के नामित सदस्य, मुख्य राजस्व अधिकारी, इलाहाबाद (जिलाधिकारी के नामित सदस्य) की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट / संस्तुति दिनांक: 30.06.2014 के आधार पर निर्गत की जा रही है तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधितः अंकित होने एवं भूमि / गाटो की संयुक्तता आदि मे विसंगति की स्थिति मे समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
3. उक्त पाठ्यक्रम मे सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश स0-3075 / सत्तर-2-2002-2 (166) / 2002 दिनाक 27.06.2014 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों मे विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओ एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्राप्त होने / विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम मे प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नही की जाएगी। सम्बद्धता पूर्व भूमि बटवारे की कार्यवाही महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
5. उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय एव न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।
6. पाठ्यक्रम के संचालन पर पडने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय राज्य सरकार से किसी प्रकार सहायता / राजसहायता की मांग नहीं की जाएगी।
7. संस्था द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियों मे भविष्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
8. शासनादेश स02103 / सत्तर-2-2012-2(166) / 2012 दिनाक 09.08.2012 को अन्तर्गत शासन को सम्बद्धता प्रस्ताव उपलब्ध कराते समय विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति / निर्बाधन (क्लीयरेन्स) प्रस्ताव पर सम्बद्धता को पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।

यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों / प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि इसमें भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव / प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
4. प्रबन्धक / सचिव, प्रस्तावित सुचितानन्दन महाविद्यालय जमुहरा गांट, बारा, इलाहाबाद।
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

सुचिता सिंह
प्रबन्धक
सुचितानन्दन महाविद्यालय
गांट, ..., बारा-प्रयागराज

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव